



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपायध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)

क्रमांक : एफ-13 () उपा.आयो-II/ननिज/2023/ 253

दिनांक 28/7/23

सार्वजनिक सूचना

आवेदक श्री सुरेश जैन प्लॉट नं. ई-27 न्यू लाईट कॉलोनी (न्यू लाईट गृ.निर्माण सहकारी समिति) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यू लाईट कॉलोनी के ई ब्लॉक का अनुमोदन कर 27 भूखण्डों का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। न्यू लाईट कॉलोनी (न्यू लाईट गृ. निर्माण सहकारी समिति) को जविप्रा द्वारा बीपीसी द्वितीय (सीपीसी) की बैठक दिनांक 30.05.1994 के अनुसार के अनुमोदन किया गया। परन्तु ई-ब्लॉक का अनुमोदन नहीं किया गया था। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 13.06.2023 के प्रस्ताव संख्या 07 में न्यू लाईट कॉलोनी (न्यू लाईट गृ.निर्माण सहकारी समिति) के ई-ब्लॉक को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त अनुमोदन बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली में नियमन की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर